A-4

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– उमर दीन खान
आई.ए.एस.

अपील संख्या 60/2021
सुगनाराम पुत्र सोनाराम, जाति गुर्जर, निवासी चेच्या वाली ढाणी तन बागोरिया की ढाणी, तहसील नवलगढ, जिला झुंझुनूं।

––अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील नवलगढ, जिला झुंझुनूं।

––रेस्पोडेन्ट

––

अपील अः सेक्शन 75(1) राजस्थान लैण्ड रेवन्यू एक्ट 1956 विरूद्व आदेश दिनांकित 13.08.2021 न्यायालय तहसीलदार नवलगढ़ बमुकदमा उनवानी राज्य सरकार बनाम सुगनाराम पुत्र सोनाराम, जाति गुर्जर, निवासी चेच्या वाली ढाणी किस्म मुकदमा धारा 91 एल0आर0 एक्ट 1956 मुकदमा नम्बर 17/2021

––

उपस्थितः–

1. श्री विजयपाल, एडवोकेट – अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक – रेस्पोडेन्ट की ओर

आदेश

दिनांक 27.09.2021

पत्रावली पेश हुई। उक्त विषयक अपील तहसीलदार नवलगढ के निर्णय दिनांक 13.08.2021 के विरूद्व पेश की गई है। अपील अपीलान्ट निम्न प्रकार पेश है कि अदालत मातहत तहसीलदार नवलगढ़ का निर्णय विरूद्व कानून एवं पत्रावली है। अपीलान्ट ने अदालत मातहत में हाजिर होकर जबाब दिनांक 11.08.2021 को प्रस्तुत किया जो शामिल मिसल किया गया परन्तु अदालत मातहत ने दिनांक 13.08.2021 को आईन्दा तारीख पेशी वास्ते सहादत हेतु नियत नही की और अपीलान्ट/गैर सायल को साक्ष्य व सहादत अपने पक्ष में प्रस्तुत करने हेतु अवसर नही दिया। ऐसा कर अदालत मातहत ने कानून के मूलभूत सिद्वान्तों का उल्लघंन किया है जबकि साक्ष्य प्रस्तुत करने का अपीलान्ट/गैरसायल का मुख्य अधिकार था जिससे अदालत मातहत ने बरोज जबाब देही के दो दिन बाद बिना साक्ष्य सहादत लिये दिनांक 13.08.2021 को उक्त प्रकरण का निर्णय कर दिया। इसलिए अदालत मातहत ने अपीलान्ट/गैरसायल को उसके पक्ष मे मूलभूत साक्ष्य पेश करने का मौका व अवसर नही देकर अहम कानूनी भूल की है। अदालत मातहत ने उक्त निर्णय दिनांकित 13.08.2021 पारित करते वक्त अदालत मातहत की पत्रावली पर सही ढंग से अपना माईण्ड अप्लाई नही किया और मामला हाजा पर सही ढंग से गौर नही फरमाया जबकि अदालत मातहत ने अपीलान्ट/गैरसायल को ग्राम चेच्या वाली ढाणी तन बागोरिया की ढाणी के खसरा नम्बर 1208 कुल रकबा 2.43 हैक्टर किस्म गैर मुमकीन बाडा व बारानी मे से 3.80 मीटर लम्बाई की भूमि पर अपीलान्ट/गैरसायल को अतिकमी घोषित कर बेदखल किये जाने का आदेश पारित किया है। अपीलान्ट का मुख्य धन्धा खेती है तथा उक्त अतिकमी भाग रकबा 3.80 मीटर लम्बाई की भूमि पर अपीलान्ट का कदीमी कब्जा है। अदालत मातहत में दिनांक 13.08.2021 को उक्त प्रकरण में पटवारी हल्का ने हाजिर होकर अपीलान्ट अतिकमी द्वारा

जिला कलक्टर झुंझुनू

A 4/2

अतिक्रमण किये जाने बाबत कोई हल्फिया साक्ष्य प्रस्तुत नही की जिस कारण से अपीलान्ट को उक्त मामला हाजा में पटवारी हल्का से जिरह करन से वंचित होना पडा जिसकी वजह से प्रार्थी/अपीलान्ट को न्याय प्राप्त नही हो सका और अदालत मातहत ने कानून के मूलभूत सिद्वान्तों का उल्लघंन कर उतावले पन मे उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांकित 13.08.2021 पारित कर दिया। उक्त निर्णय विधि विरूद्व व कानून के मूलभूत सिद्वान्तों के खिलाफ है। अदालत मातहत की पत्रावली पर अगर सही ढंग से गौर फरमाया जाता है तो अदालत मातहत द्वारा पारित उक्त निर्णय प्रथम दृष्टया ही अवैध साबित होता है क्योंकि अदालत मातहत ने अपने उक्त निर्णय मे प्रार्थी/अपीलान्ट को अतिकमी मानकर बहुत बडी भूल की है। जबकि प्रार्थी/अपीलान्ट का उक्त 3.80 मीटर लम्बाई की भूमि पर कदीम से कब्जा चला आ रहा है उक्त भूमि मूर्ति मन्दिर श्री रघुनाथ जी की खातेदारी व काश्त की भूमि है तथा प्रार्थी/अपीलान्ट उक्त मूर्ति मन्दिर श्री रघुनाथ जी का पूजक है तथा मूर्ति मन्दिर श्री रघुनाथ जी की सेवा पूजा करता तथा मन्दिर का महन्त है तथा मन्दिर कृषि भूमि मे काश्त करता है। इसलिए उक्त भूमि को पशुओं से रक्षा करने के लिए 3.80 मीटर लम्बी दीवार कदीम से बनाई हुई है। उक्त अतिक्रमी भाग पर अपीलान्ट/गैरसायल का कदीम कब्जा है और उक्त भूमि पर बनी 3.80 मीटर लम्बाई की दीवार पर कदीम से अपीलान्ट व इसके परिवार द्वारा फसल की रक्षार्थ हेतु काम में ली जाती है परन्तु अदालत मातहत ने उक्त प्रकरण पर सही ढंग से किसी भी प्रकार से तनिक भी गौर नही किया और जानबूझकर आर्बिट्रेरीली उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.08.2021 पारित कर दिया है। अतः अपील अपीलान्ट प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट मंजूर फरमाकर अदालत मातहत तहसीलदार तहसील नवलगढ जिला झुंझुनू के द्वारा बमुकदमा उनवानी राज्य सरकार बनाम सुगनाराम किस्म मुकदमा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 मु0न0 17/2021 मे पारित उक्त निर्णय दिनांकित 13.08.2021 को मय खर्चा खारिज फरमावें।

बहस वकील अपीलान्ट सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट् ने बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुए निवेदन किया कि अपीलान्ट ने अपीलान्ट ने अदालत मातहत में हाजिर होकर जबाब दिनांक 11.08.2021 को प्रस्तुत किया जो शामिल मिसल किया गया परन्तु अदालत मातहत ने दिनांक 13.08.2021 को आईन्दा तारीख पेशी वास्ते सहादत हेतु नियत नही की और अपीलान्ट/गैर सायल को साक्ष्य व सहादत अपने पक्ष में प्रस्तुत करने हेतु अवसर नही दिया। ऐसा कर अदालत मातहत ने कानून के मूलभूत सिद्वान्तों का उल्लघंन किया है जबकि साक्ष्य प्रस्तुत करने का अपीलान्ट/गैरसायल का मुख्य अधिकार था जिससे अदालत मातहत ने बरोज जबाब देही के दो दिन बाद बिना साक्ष्य सहादत लिये दिनांक 13.08.2021 को उक्त प्रकरण का निर्णय कर दिया। अदालत मातहत ने उक्त निर्णय दिनांकित 13.08.2021 पारित करते वक्त अदालत मातहत की पत्रावली पर सही ढंग से अपना माईण्ड अप्लाई नही किया और मामला हाजा पर सही ढंग से गौर नही फरमाया जबकि अदालत मातहत ने अपीलान्ट/गैरसायल को ग्राम चेच्या वाली ढाणी तन बागोरिया की ढाणी के खसरा नम्बर 1208 कुल रकबा 2.43 हैक्टर किस्म गैर मुमकीन बाडा व बारानी मे से 3.80 मीटर लम्बाई की भूमि पर अपीलान्ट/गैरसायल को अतिकमी घोषित कर बेदखल किये जाने का आदेश पारित किया है। अपीलान्ट का मुख्य धन्धा खेती है तथा उक्त अतिकमी भाग रकबा 3.80 मीटर लम्बाई की भूमि पर अपीलान्ट का कदीमी कब्जा है। प्रार्थी/अपीलान्ट का उक्त 3.80 मीटर लम्बाई की भूमि पर कदीम से कब्जा चला आ रहा है उक्त भूमि मूर्ति मन्दिर श्री रघुनाथ जी की खातेदारी व काश्त की भूमि है तथा प्रार्थी/अपीलान्ट उक्त मूर्ति मन्दिर श्री रघुनाथ जी का पूजक है तथा मूर्ति मन्दिर श्री रघुनाथ जी की सेवा पूजा करता तथा मन्दिर का महन्त है तथा मन्दिर कृषि भूमि मे काश्त करता है। इसलिए उक्त भूमि को पशुओं से रक्षा करने के लिए 3.80 मीटर लम्बी दीवार कदीम से बनाई हुई है। उक्त अतिकमी भाग पर अपीलान्ट/गैरसायल का कदीम कब्जा है और उक्त भूमि पर बनी 3.80 मीटर लम्बाई की दीवार पर कदीम से अपीलान्ट व इसके परिवार द्वारा फसल की रक्षार्थ हेतु काम में ली जाती है। अदालत मातहत द्वारा निराधार तथ्यों पर आदेश पारित किया जो खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.08.2021 को निरस्त फरमाया जावें।

जिला कलक्टर

A 4/3

विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने वकील अपीलान्ट के कथनों का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि ग्राम बागोरिया की ढाणी स्थित विवादित भूमि ख0न0 1208 रकबा 2.43 है0 किस्म (0.08 है0 गै0मु0 बाड़ा, बारानी प्रथम 0.20 व बारानी द्वितीय 2.15 है0 कुल 2.43 है0) सरकारी भूमि है जिस पर अपीलान्ट को कब्जा करने का कोई हक नही है। अदालत मातहत द्वारा विधि सम्मत निर्णय पारित किया है। अतः अपीलान्ट की यह अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने बहस वकील पक्षकारान पर बगौर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा अपीलान्ट को ग्राम बागोरियां की ढाणी स्थित भूमि खसरा नम्बर 1208 कुल रकबा 2.43 हैक्टर किस्म (0.08 गै.मु. बाड़ा, बारानी प्रथम 0.20 व बारानी द्वितीय 2.15 हैक्टर कुल रकबा 2.43 हैक्टर) की खातेदारी मन्दिर श्री रघुनाथ जी में से 3.80 मीटर लम्बी पत्थर की दीवार बनाकर अतिक्रमी माना है। प्रकरण में अहम बिन्दु निम्न प्रकार है :–

1. अपीलान्ट का मुख्य तर्क यह है कि विवादित भूमि मन्दिर श्री रघुनाथ जी की खातेदारी में है, जिस पर उसका कदीम से कब्जा चला आ रहा है तथा अपीलान्ट द्वारा पशुओ से फसल की रक्षा हेतु उसके द्वारा उक्त दीवार का निर्माण किया गया है। अपीलान्ट ने अपने तर्को के सम्बन्ध कोई दस्तावेजी साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये है। विवादित आराजी भूमि खसरा नम्बर 1208 की खातेदारी मंदिर श्री रघुनाथ जी के खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है जिसका यहां विवाद नहीं है। मौके पर खसरा नम्बर 676 के खातेदार द्वारा रास्ते से लगती हुई अपनी सीमा पर लोहे का गेट लगा रखा है और अतिक्रमित दीवार उस लोहे के गेट के सामने बनाई गई है। इससे अपीलान्ट का यह तर्क की उसके द्वारा पशुओं से फसल की सुरक्षा हेतु दीवार बनाई गई है स्वीकार्य नहीं है।
2. अतिक्रमित भूमि मन्दिर श्री रघुनाथ जी के खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। जिस पर अपीलान्ट द्वारा अवैध रूप से दीवार का निर्माण किया है, जो अतिक्रमण की श्रेणी में आता है। अदालत मातहत द्वारा नियमानुसार सुनवाई के बाद आदेश पारित किया है, जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते है। अपीलान्ट अपना पक्ष न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने में विफल रहे है।

अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। अपील खारिज होने की स्थिति में स्थगन प्रार्थना पत्र की बाबत अलग से आदेश पारित किये जाने की आवश्यकता नहीं है। आदेश की प्रति मय रिकार्ड के अदालत मातहत को प्रेषित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 27.09.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उमर दीन खान)
जिला कलक्टर,
झुंझुनूं